Speed post

संख्या– /VIII/12–13(श्रम)/2010

प्रेषक,

किशन नाथ,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

श्रम आयुक्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी,
नैनीताल।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग **देहरादून, दिनाँकः 23 ~~फरवरी~~ मार्च, 2012**

विषयः– श्रम न्यायालय, काशीपुर के कार्यालय/भवन निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः–150/VIII/11–13(श्रम)/201 दिनांक 29 मार्च, 2011 के द्वारा निर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के क्रम में एवं आपके पत्र संख्याः– 3069/नजा॰/एक–7(1)/09–10, दि॰ 18 अगस्त, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रम न्यायालय, काशीपुर के कार्यालय भवन निर्माण के द्वितीय चरण हेतु प्राप्त आगणन ₹ 166.25 लाख के सापेक्ष टी॰ए॰सी॰ वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि ₹ 129.97 लाख (रू॰ एक करोड़ उन्तीस लाख सतानवें हजार) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न विवरणानुसार संपूर्ण धनराशि एक मुश्त रूप में व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– उक्त धनराशि इस प्रतिबंध के साथ एवं शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मित्तव्ययता नितांत आवश्यक है, मित्तव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3– कार्य करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज़ रूल्स एवं मित्तव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

पृष्ठ-2

4– उक्त धनराशि वर्णित योजना हेतु समक्ष स्तर से अनुमोदित कार्ययोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो/मदों पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के क्रियान्वयन के लिए न किया जाय।

5– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाय। शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–7, आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, तथा समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6– आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0–17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।

7– बी0एम0–13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारिख तक पूर्ण माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय।

8– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–163/xxvii(7)/2007 दिनांक 22–05–2008 एवं संख्याः–475 /xxvii(7) दिनांक 15–12–2008 के द्वारा निर्धारित समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) कार्यदायी संस्था के साथ अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9– मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0–ब–06/X–2–2010 –12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

10– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनाँकः 31 मार्च, 2012 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाय।

11– निर्माण कार्यों के लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व सघन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर–211(डी) की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी।

12– अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

13– उक्त धनराशि वर्णित योजना हेतु समक्ष स्तर से अनुमोदित कार्ययोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो/मदों पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के क्रियान्वयन के लिए न किया जाय।

14– सुराज, भ्रष्टाचार उन्नमूलन एवं जनसेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–640/XXX-01(02)/2011 दिनांक 12 दिसम्बर, 2011 द्वारा प्राविधानित "सत्यनिष्ठा अनुबन्ध" की व्यवस्था निर्धारित प्रारूप के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

पृष्ठ-3

15– निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना यथा आवश्यतानुसार सुराज, भ्रष्टाचार उन्नमूलन एवं जनसेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–1638/XXX-1-12(25)/2011 दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वैब साइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वैब साइट यदि कोई हो पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय–समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।

16– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनुदान संख्या–16 मुख्य लेखाशीर्षक 4216–आवास पर पूंजीगत् परिव्यय, 80–सामान्य, आयोजनागत–001–निदेशन तथा प्रशासन, 03–श्रम आयुक्त के अधीन आवासीय/अनावासीय भवन/भूमि क्रय की मानक मद संख्या 24–वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

17– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः यू०ओ०–161P/XXVII(5)/2011, दिनाँकः 24 दिसम्बर, 2011 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(किशन नाथ)
अपर सचिव

संख्या–432 (1)/VIII/12–13(श्रम)/2010, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, काशीपुर।
4. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर, हल्द्वानी/नैनीताल।
6. परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लि०, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
7. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
8. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अहमद अली)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या: 432 / VIII / 12–13(श्रम) / 2010, दिनाँक: 23 मार्च फरवरी, 2012 का संलग्नक:–

(धनराशि ₹ लाख में)

कार्य का विवरण	कार्यदायी संस्था	द्वितीय चरण हेतु स्वीकृत लागत वर्ष 2011–12	द्वितीय चरण हेतु अवमुक्त की गयी कुल धनराशि	वर्ष 2011–12 में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
श्रम न्यायालय, काशीपुर के कार्यालय भवन निर्माण हेतु	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।	129.97	–	129.97
	योग	129.97	–	129.97

(धनराशि रू. एक करोड़ उन्तीस लाख सतानवें हजार मात्र)

(किशन नाथ)
अपर सचिव